# एससी/एसटी एक्ट: सर्वोच्च न्यायालय

## प्रलिमि्स के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय,एससी/एसटी (अत्याचार नविारण) कानून 1989 के प्रावधान

## मेन्स के लयि:

'वशिष कानूनों' से संबंधति आपराधकि मामलों को रद्द करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले का अवलोकन करते हुए पाया कि **शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों के पास एससी/एसटी अधनियिम सहति वभिन्नि 'वशिष कानूनों' के तहत दायर आपराधकि मामलों को रद्द** करने की **शक्ति** है।

- अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति (अत्याचार नविारण) अधनियिम, 1989 **के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लयि सर्वोच्च न्यायालय के पास** संवधिान के अनुच्छेद 142 **या** उच्च न्यायालय **के** आपराधकि प्रक्रयिा संहति **की धारा 482 के तहत नहिति शक्तयिाँ हैं।**

## प्रमुख बदिु

- **'वशिष कानून' के तहत मामलों को रद्द करने की स्थति:**
  - जहाँ **न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वचिाराधीन अपराध, भले ही एससी/एसटी अधनियिम के अंतर्गत** आता है, प्राथमकि रूप से नजिी या दीवानी प्रकृति का है, या जहाँ कथति अपराध पीड़ति की जाति के आधार पर नहीं कयिा गया है, या कानूनी कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रयिा का दुरुपयोग होगा, न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लयि अपनी शक्तयिों का प्रयोग कर सकता है।
  - जब दोनों पक्षों के बीच **समझौता/नपिटान के आधार पर रद्द करने की प्रार्थना पर वचिार** करते समय, यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि अधनियिम के अंतर्नहिति उद्देश्य का उल्लंघन नहीं कयिा जाएगा या कम नहीं कयिा जाएगा, भले ही **वविादति अपराध के लयि दंडति न** कयिा जाए।
- **अनुच्छेद 142:**
  - **परचिय:** यह **सर्वोच्च न्यायालय को वविेकाधीन शक्ति** प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधकिार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारति कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबति कसिी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लयि आवश्यक हो।
  - **रचनात्मक अनुप्रयोग:** अनुच्छेद 142 के वकिास के प्रारंभकि वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने समाज के वभिन्नि वंचति वर्गों को पूर्ण न्याय दलिाने या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के लयि सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने **यूनयिन कार्बाइड मामले** को भी अनुच्छेद 142 से संबंधति बताया था। यह मामला भोपाल गैस त्रासदी के पीड़तिों से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को संसद या राज्यों की वधिानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर रखते हुए कहा कि पूर्ण न्याय करने के लयि यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को भी समाप्त कर सकता है।
    - हालाँकि **'सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसएिशन बनाम भारत संघ'** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि **अनुच्छेद 142 का उपयोग मौज़ूदा कानून को प्रतस्थिापति करने के लयि नहीं, बल्कि एक वकिल्प के तौर** पर कयिा जा सकता है|
  - **न्यायकि अतरिक के मामले:** हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई नर्णिय दयि हैं जनिमें उसने उन क्षेत्रों में प्रवेश कयिा है जो **लंबे समय से न्यायपालकिा के लयि 'शक्तयिों के पृथक्करण' के सद्धिांत के कारण नषिद्धि थे, जो कि संवधिान की मूल संरचना का हस्सिा** हैं। उदाहरण :
    - **राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब की बक्रिी पर प्रतबिंध:** केंद्र सरकार द्वारा अधसिूचना में केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के कनिारे शराब की दुकानों पर प्रतबिंध लगाने की बात कही गई, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुच्छेद 142 को लागू करके राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी पर प्रतबिंध** लगा दयि।
- **दंड प्रक्रयिा संहति की धारा 482:**
  - यह धारा **उच्च न्यायालय को न्याय सुनश्चिति करने के लयि कोई भी आदेश पारति** करने की अनुमति देती है। यह अदालत को नचिली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने या FIR रद्द करने की शक्ति भी देता है।

- **एससी/एसटी अधिनियम:**
  - एससी/एसटी अधिनियम 1989 को **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार को रोकने** के लिये संसद द्वारा अधिनियमित का एक अधिनियम है।
  - यह **अधिनियम निराशाजनक वास्तविकता को भी संदर्भित करती** है क्योंकि कई उपाय करने के बावजूद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उच्च जातियों के हाथों विभिन्न अत्याचारों के अधीन हैं।
  - अधिनियम को संविधान के **अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) तथा 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण)** में उल्लिखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है, जिसमें सुरक्षा के दोहरे उद्देश्य हैं। यह कमज़ोर समुदायों के सदस्यों के साथ-साथ जाति आधारित अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करता है।
  - **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संशोधित अधिनियम (2018) में** प्रारंभिक जाँच ज़रूरी नहीं है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के मामलों में FIR दर्ज करने के लिये जाँच अधिकारियों को अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/supreme-court-on-sc-st-act